शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-39 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 25-2 अक्तूबर 2023 मूल्य पांच रूपए

यह तीन लाख एकड़ जमीन कहां है? सरकार इसका क्या कर रही है

- सरकार इस तीन लाख एकड़ भूमि मामले में खामोश क्यों है
- क्या इन जमीनों पर कुछ प्रभावशाली लोग कब्जा करके बैठे हैं?
- क्या 1973 में लैण्ड सीलिंग लागू होने के बाद भी इस एक्ट में संशोधन की गुंजाईश है?

शिमला/शैल। प्रदेश इस समय कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है यह सरकार द्वारा राज्य विधानसभा के पटल पर रखे गये श्वेत पत्र से सामने आया है। इस वित्तीय स्थिति के परिदृश्य में प्रदेश की स्थिति श्रीलंका जैसे होने की आशंका भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु व्यक्त कर चुके हैं। अब प्रदेश में यह आपदा घट गयी है जिसमें करीब बारह हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। केंद्र सरकार से आश्वासनो से अधिक कुछ मिल नहीं पाया है। प्रदेश सरकार अपने संसाधन बढ़ाने के लिये सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाने से अधिक कुछ सोच नहीं पा रही है। जबकि सरकार के पास तीन लाख एकड़ जमीन दो राजस्व भू अधिनियमों में हुये संशोधनों के माध्यम से आ चुकी है। लेकिन राज्य सरकार को यह जानकारी ही नहीं है कि उसकी यह जमीन है कहां पर। कहीं इस जमीन का लाभ कुछ अधिकारियों की मिली भगत से कुछ शातीर लोग ही तो उन्हें उठा रहे हैं। क्योंकि जिस सरकार के पास तीन लाख एकड़ जमीन सरप्लस हो वह इतने बड़े कर्ज के चक्रव्यूह में कैसे फंस सकती है यह अपने में ही एक बड़ा सवाल बन जाता है।

स्मरणीय है कि देश की आजादी के बाद सरकार के पास सबसे बड़ा और प्रमुख सवाल भू-सुधारो का आया था। इन सुधारों के तहत 1953 में बड़ी जिम्मेदारी प्रथा उन्मूलन के लिये Abolition of Big Landed Estate Act. लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 100 रूपये या इससे अधिक भू-लगान देने वालों की सरप्लस जमीने सरकार के पास चली गयी थी। इसमें कई राजे, राणे और बड़े जमीदार प्रभावित हुये थे। इसके बाद 1971 में प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट आया। 1974 में पारित हुआ यह एक्ट 1973 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 300 कनाल/161 बिघे से अधिक जमीन नहीं रख सकता। इन दोनों अधिनियमों के तहत हिमाचल सरकार के पास तीन लाख एकड़ जमीन आयी है। यह सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक समय आयी याचिका में स्वीकार किया हुआ है। जबकि इस याचिका से पहले 1975 में आपातकाल के दौरान हर भूमिहीन को दस-दस कनाल जमीन दी गई थी ऐसी जमीनों पर उगे पेड़ों की मलकीयत भी इन लोगों को दे दी गयी थी। इस जमीन को बेचने का अधिकार इन लोगों को नहीं दिया गया था ताकि यह लोग फिर से भूमिहीन न हो जायें। इसलिए आज भी यदि कोई धारा 118 के तहत अनुमति लेकर जमीन खरीदता या बेचता है तो उसे यह लिखना पड़ता है कि वह उस जमीन को बेचकर भूमिहीन तो नहीं हो रहा है।

हिमाचल का हर राजा इन कानूनों के दायरे में आया हुआ है। लेकिन अब जब सुक्खु सरकार लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन लेकर आयी है तो स्वभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि 1973 से लैण्ड सीलिंग अधिनियम लागू होने के बाद भी आज प्रदेश में किसी के पास भी तय सीमा से अधिक जमीन कैसे हो सकती है। निश्चित है कि यह संशोधन लाने पर सरकार ने इस दिशा में वांछित होमवर्क कर लिया होगा। क्योंकि शामलात जमीनें तो पंजाब और हिमाचल में एक अरसे से सरकार के पास चली गयी है। इन जमीनों को विलेज कॉमनलैण्ड कहा जाता है। जिन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय जनवरी 2011 में एक फैसले में यहां तक कह चुका है कि all though we have dismissed this appeal, it shall be listed before this court from time to time on dates (fixed by us) So that we can monitor implementation of our directions here in. List again before us on 3-5-2011 on which date all chief secretaries in India will submit their reports.

जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य मामला विलेज कॉमनलैंण्ड को लेकर था। कोर्ट के इस फैसले पर हिमाचल से भी रिपोर्ट गयी होगी और हिमाचल में भी विलेज कॉमन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो रही होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यह निर्देश प्रशासन के हर स्तर तक फील्ड में गये होंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में यदि सरकार इस तीन लाख एकड़ जमीन को चिन्हित करके उसका सदुपयोग करती है तो उसे बढ़ते कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता मिल जायेगा। लेकिन ईवैक्यू प्रॉपर्टी के मामले की तरह नहीं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जुर्माना लगाया है। कई जगह में ऐसी भी रिकॉर्ड पर रिपोर्ट है जहां विलेज कॉमन लैण्ड को अधिग्रहण करके सरकार प्राइवेट लोगों को सरकारी जमीन का ही मुआवजा दे रही है। जबकि यह जमीनें भूमिहीनों और एस. सी, एस.टी में बंटनी थी।

राज्यपाल ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एकजुट प्रयासों पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल प्रदेश द्वारा 'मेकिंग हिमाचल प्रदेश द केपिटल ऑफ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी' विषय पर आयोजित सीआईआई

पावर कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल के सतत् विकास और समृद्ध भविष्य के दृष्टिगत हरित और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एकजुट प्रयासों का आहवान किया है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ ही सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कार्य करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र बनने की परिकल्पना को साकार करने के लक्ष्य में ग्रिड एकीकरण, तकनीकी प्रगति, वित्तपोषण और सामुदायिक जुड़ाव सहित कई चुनौतियां है। उन्होंने कहा कि हर चुनौती नवाचार और विकास के अवसर प्रदान करती है और हम सब मिलकर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करें।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में नदियों, वनों और पहाड़ों सहित प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को अपनाना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता ही नहीं अपितु यह एक आर्थिक अवसर भी उपलब्ध करवाता है। यह सतत् विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन और जैव ईंधन (बायोमास) जैसे हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हम ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने में सक्षम हैं और इनसे आर्थिक विकास और रोजगार के नये अवसर भी उपलब्ध होंगे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अग्रणी कदम उठाये हैं। राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने के साथ ही अनुकूल नीतियां कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा इन प्रयासों के परिणामस्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विशेष रूप से जलविद्युत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हिमाचल को हरित और स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपसी सहयोग और साझा प्रयास आवश्यक हैं।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश ज्ञान का आदान-प्रदान करने, सर्वोत्तम प्रणालियों को साझा करने और नवीन समाधान तलाशने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सीआईआई पावर कान्क्लेव इस प्रकार के समन्वय स्थापित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी प्रतिभागी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। उन्होंने आहवान किया कि इस मंच का उपयोग प्रतिभागियों द्वारा विचारों को साझा करने, चुनौतियों पर चर्चा और सहयोग के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जाए।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष नवेश नरूला ने राज्यपाल का स्वागत किया और पर्यावरणीय चुनौतियों और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।

स्टेटक्राफ्ट इंडिया लिमिटेड के कंट्री हेड राहुल वर्षणे और हार्टेक पावर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ संजीव गुप्ता ने भी राज्यपाल का स्वागत किया।

प्राकृतिक कृषि पद्धति से मज़बूत होगी किसानों की आर्थिकी: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस कृषि पद्धति को अपनाने से न केवल किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

राज्यपाल ने किन्नौर ज़िला के कल्पा में कृषि विज्ञान केंद्र, शारबो में डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी द्वारा आयोजित किसान मेले के दौरान कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत में प्राकृतिक खेती से तैयार मोटे अनाज के व्यंजन परोसे गये। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राकृतिक उत्पादों को अपनाना होगा और इसके लिए हमें पौष्टिक अनाज की पैदावार करनी होगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला में बाजरा की खेती की संभावना है और किसानों को इस खेती का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से काले जीरे की खेती को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया।

उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करने और किसानों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय और किसान मिलकर इस दिशा में कार्य करें तो यह लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने जिला प्रशासन से पौष्टिक अनाज के लिए उपयुक्त विपणन प्रणाली विकसित करने और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को अच्छा बाज़ार उपलब्ध करवाकर उन्हें प्रोत्साहित करने को कहा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कृषि उपज पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

इससे पहले, औद्यानिकी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति और निदेशक, विस्तार शिक्षा डॉ. इंद्र देव ने राज्यपाल का स्वागत किया और क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र शारबो की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों ने सेब की बागवानी, महिला सशक्तिकरण और कृषि, प्राकृतिक खेती, औषधीय पौधों और मधुमक्खी पालन के संबंध में अपने अनुभव भी साझा किये। शारबो केन्द्र के सह निदेशक डॉ. अशोक ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इससे पहले, राज्यपाल ने सब्जी उत्पादन अनुसंधान केंद्र कल्पा का भी दौरा किया और उच्च घनत्व सेब की बागवानी का जायज़ा लिया। उन्होंने ड्रोन का प्रदर्शन भी देखा। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि में नवीन तकनीक का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च घनत्व वृक्षारोपण एवं ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर किसानों को काफी लाभ मिल सकता है।

राज्यपाल ने सीमा से सटे गांवों के लोगों के हौंसले को सराहा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला किन्नौर के कल्पा उप-मण्डल के बटसेरी गांव का दौरा किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी

शुक्ल भी उनके साथ रहीं। किन्नौर ज़िला के तीन दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन राज्यपाल ने विष्णु नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की और महिला मण्डलों एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि यहां के लोग अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी लोग वापस आकर गांव के विकास में योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सेना के जवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं, उसी प्रकार इन सीमा से सटे प्रथम गांवों के लोग भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय मंत्रियों को इन प्रथम गांवों में भेजा है, जिससे यह संदेश जाता है कि इन गांवों का विकास हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि सांगला घाटी के पुराने गौरव को बहाल करने के प्रयास किये जायेंगे और सड़कों के साथ-साथ कृषि गतिविधियों के उन्नयन को प्राथमिकता दी जाएगी।

इससे पूर्व, ग्राम पंचायत भटसेरी के प्रधान प्रदीप कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया और क्षेत्र की मांगों से अवगत कराया।

इस अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा किन्नौरी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। लेडी गवर्नर ने इस कार्यक्रम में किन्नौरी नाटी का लुत्फ उठाया।

राज्यपाल ने सांगला बाजार का भी दौरा किया जहां हाल ही में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी क्षति हुई है।

इसके उपरांत, राज्यपाल ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की मस्तरंग पोस्ट का भी दौरा किया। उन्होंने जवानों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये जवान देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित कर विकास में भी योगदान दे रहे हैं।

राज्यपाल ने केन्द्रीय योजनाओ के कार्यान्वयन की समीक्षा की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला किन्नौर के कल्पा में जिला प्रशासन के साथ विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचता है, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों का यह दायित्व है कि वे कर्त्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से कार्य करें।

राज्यपाल ने कहा कि सीमावर्ती गांव वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शामिल गांव सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इन गांवों के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इन लोगों के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हो पाएगा। उन्हें कुछ स्थानों पर पेयजल आपूर्ति की कमी की जानकारी मिली है। उन्होंने संबंधित विभाग को जल शक्ति मंत्रालय के परामर्श से एक विस्तृत परियोजना तैयार करने का निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शिक्षा विभाग की मिड-डे मील योजना, समग्र शिक्षा, आतमा परियोजना, एकीकृत बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

उपायुक्त तोरुल रवीश ने राज्यपाल को हाल ही में जिले में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के अलावा केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जिला की विकासात्मक गतिविधियों से भी अवगत कराया। उन्होंने उपमंडल पूह और मल्लिंग नाला तथा कल्पा, निचार, काफनू आदि क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी विभागों को 138 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है।

बैठक में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की भी विस्तृत जानकारी दी गई। जिला के 55 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है।

असम सरकार ने आपदा राहत कोष में किया 10 करोड़ रुपये का अंशदान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आयी आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष-2023 में असम सरकार ने 10 करोड़ रूपये की सहायता राशि का अंशदान किया है। इस राशि का चेक असम के वन मंत्री चन्द्र मोहन पटोवारी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम सरकार का इस सहायता राशि के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में यह सहायता राशि कारगर साबित होगी। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम जनता से इस कोष में अधिक से अधिक अंशदान का भी आग्रह किया है, ताकि प्रभावितों को यथासम्भव सहायता प्रदान की जा सके।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: त्रचा शर्मा

आपदा राहत कोष में उत्तराखंड सरकार ने किया 5 करोड़ रुपये का अंशदान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश से आयी आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को उत्तराखंड राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि आपदा राहत कोष-2023 के लिए प्रदान की है।

उन्होंने इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में यह सहायता कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण प्रदेश में 12 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्य चला रही है। उन्होंने प्रदेश की खुले मन से मदद करने वाले सभी अंशदाताओं का भी आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल के हितों से संबंधित विभिन्न

मामलों को त्वरित सुलझाया जाये और आपदा से प्रभावित हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करवाया जाये। मुख्यमंत्री अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश से राज्य में 12000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस अकल्पनीय आपदा में 441 से अधिक लोग काल का ग्रास बन गये और लगभग 13000 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सहयोग से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रभावितों के लिए आपदा राहत कोष-2023 स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदा के समय देश के प्रत्येक राज्य को राहत राशि प्रदान करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाये ताकि हिमाचल के पुनर्निर्माण में उचित सहायता प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आपदा राहत कोष के प्रचलित मानदंड वर्तमान में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर राज्य को अधिक सहायता राशि की आवश्यकता है। उन्होंने इन मानदंडों में व्यवहारिक संशोधन की मांग भी की। उन्होंने आपदा राहत कोष में सहायता के लिए हरियाणा एवं राजस्थान सरकार का आभार भी व्यक्त किया।

उन्होंने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना को मार्च, 2024 में लीज की अवधि समाप्त होने पर हिमाचल को सौंपने में पंजाब सरकार से सहयोग मांगा। इस विषय में केन्द्र सरकार से भी आग्रह किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हिमाचल ने सदैव अपना पूर्ण योगदान दिया है और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राज्य के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के दृष्टिगत प्रदेश को बीबीएमबी निदेशक मंडल में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्रदान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के लिए 12 प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा रॉयल्टी प्रदान करने तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम जैसे केंद्रीय उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की वर्तमान 12 प्रतिशत रायल्टी को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप बीबीएमबी से बकाया लगभग 4000 करोड़ रुपए अविलंब दिलवाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्थापित विभिन्न बांध प्रबंधनों द्वारा जल छोड़ने से पहले उचित पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग करने और जलप्लावन मान चित्रण करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में हाल ही में आपदा के समय पौंग बांध, पंडोह डैम और पार्वती-3 बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने से व्यापक स्तर पर तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई करना और पुनर्वास कार्यों में स्वेच्छा से सहभागिता सुनिश्चित बनाना इन बांध प्रबंधनों का नैतिक उत्तरदायित्व है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा विवादों को शीघ्र सुलझाने की केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की। उन्होंने कहा कि मोहाल ठेका धार पधरी में प्रदेश के जिला चम्बा और जम्मू-कश्मीर तथा सरचू में हिमाचल और लद्दाख के मध्य सीमा विवाद लंबित हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परिषद की पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों पर हिमाचल सरकार ने ठोस कार्य किया है। नशा रोकथाम अभियान, पर्यटन विकास, पर्यावरण संरक्षण और नदियों को प्रदूषण मक्त करने जैसे क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं।

मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि परिषद की यह बैठक सदस्य राज्यों के आपसी तालमेल एवं सहयोग को और मजबूत कर आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रशासित चंढीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रशासित लद्दाख के उप-राज्यपाल बी.डी.मिश्रा सहित अन्य सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा सहित अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

मनाली के लिए वॉल्वो बस सेवा का परिचालन पुनः आरम्भ

शिमला/शैल। कुल्लू जिला में भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से बाधित वॉल्बो बस सेवा का मनाली के लिए परिचालन पुनः

आरम्भ हुआ। मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में लगभग 80 दिनों के बाद वॉल्वो बस पहुंची है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि मनाली के लिए वॉल्वो बस सेवा के परिचालन से जिले सहित मनाली क्षेत्र में गत माह आई आपदा के बाद बन्द पड़ी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनाली पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।

विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इससे पूर्व पतलीकूहल से वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखा कर स्वयं बस में मनाली तक सफर किया। इस दौरान वॉल्वो बस में उनके साथ उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग, भारतीय राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक वरुण चारी, एन.एच.ए.आई. तकनीकी प्रबंधक आदित्य धर द्विवेदी, एसडीएम मनाली रमन शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक मनाली के.डी. शर्मा, आर. एम. कुल्लू, अन्य अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधियों ने भी मनाली तक वॉल्वो बस में सफर किया। भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि वॉल्वो बस के मनाली तक आरम्भ होने से अब पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों जिले का मौसम बहुत ही सुहाना है। वॉल्वो बस के आरम्भ होने से अब पर्यटक यहां की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए मनाली आएंगे।

उन्होंने मनाली तक वॉल्वो बस योग्य सड़क तैयार करवाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत का मामला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा। उन्होंने जिला प्रशासन व एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों का मनाली तक वाल्वो बस की आवाजाही के लिए सड़क तैयार करने का धन्यवाद किया तथा विश्वास व्यक्त किया कि दशहरे से पूर्व इस मार्ग पर ब्लैकटॉप का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वॉल्वो बस के मनाली पहुंचने पर होटल व्यवसायों सहित और स्थानीय लोगो ने प्रसन्नता व्यक्त की।

25 वर्षों तक प्रदेश सरकार खरीदेगी सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आगामी 25 वर्षों तक खरीद करेगी, ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबध है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा दोहन के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी भूमि पर 250 किलोवाट से दो मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस सब्सिडी से युवा उद्यमियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उद्यम स्थापित करना और अधिक सुलभ तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रही है। सरकार प्रदेश की उपलब्ध जलविद्युत क्षमता के अलावा, सौर ऊर्जा संसाधनों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति यह दूरगामी पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी सृजित करती है। इस नवोन्मेषी पहल से हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाला अग्रणी प्रदेश बन गया है।

आदर्श वित्तीय प्रबंधन में नवीन प्रौद्योगिकी का समावेश आवश्यक: डॉ. अभिषेक जैन

शिमला/शैल। किसी भी सरकारी उपक्रम की कार्यप्रणाली व उत्पादकता में सुधार लाने के लिए बेहतरीन वित्तीय प्रबधन अत्यन्त आवश्यक है। यह बात सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस डॉ.अभिषेक जैन ने प्रदेश सरकार के विभिन्न निगमों और बोर्डो के वित्तीय प्रबंधन में और सुधार लाने के उपायों के दृष्टिगत आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही।

डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि आदर्श वित्तीय प्रबंधन के लिए वित्तीय नियंत्रण, बजट निर्माण, लेन-देन प्रबंधन और वित्तीय निरीक्षण जैसे कार्य दक्षता से पूर्ण किए जाने चाहिए। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसी भी उपक्रम का वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उसके लिए आवश्यक निर्णय लेना होता है।

उन्होंने सरकारी उपक्रमों के सामाजिक दायित्व के निर्वहन पर चर्चा करते हुए कहा कि गैर निष्पादित धन के सदुपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाकर ही उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों को अपने संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्रभावी कार्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

उन्होंने कॉरपोरेट कानूनों के अनुपालन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पेशेवरों को त्रैमासिक अनुपालन कैलेण्डर अनिवार्य रूप से तैयार करना चाहिए। उन्होंने बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के साथ-साथ मानव संसाधन उत्पादकता के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने उद्यम संसाधन योजना के कार्यान्वयन व सजगता को प्रोत्साहित करने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को डिजिटाइजेशन और ई-आफिस का उपयोग करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।

डा. अभिषेक जैन ने वित्तीय प्रबंधन जागरूकता लाने, बेहतर वित्तीय योजना बनाने, सीमित संसाधनों से उत्पादकता बढ़ाने और निवेश प्रबंधन पर बल दिया।

वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ अनुज बंसल ने वित्तीय प्रबंधन उपायों की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थानों को अपनी कार्य प्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकी का समावेश भी सुनिश्चित करना चाहिए।

न्यूनतम विद्यार्थी संख्या की शर्त समाप्त करने पर विचार कर रही प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कला अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 100 विद्यार्थी होने की लंबे समय से चली आ रही शर्त को समाप्त करने पर विचार कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार ने 19 नवंबर, 2018 को माध्यमिक विद्यालयों में इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की थी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को कला अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुद्रि के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों का नामांकन बनाए रखना अनिवार्य है। वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं के हितों के संरक्षण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए उन्हें गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबध है।

इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस अनिवार्यता को समाप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य राज्य में शैक्षिक अवसरों का विस्तार करना और शिक्षण कार्यबल को मजबूत करना है।

जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है – शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक। उसे जहर की तरह त्याग दो।
..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

आपदा राहत पैकेज पर भी राजनीति क्यों?

प्रदेश में आयी आपदा से आकलनों के अनुसार बारह हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और फिर उनके रहने खाने का प्रबन्ध करना पहली प्राथमिकता थी। राज्य सरकार इस प्राथमिकता पर खरी उतरी है और उसके प्रयासों तथा प्रबंधनो की सभी ने प्रशंसा भी की है। इस आपदा में जनता और कई राज्य सरकारों ने सहायता का हाथ भी बढ़ाया है जिसके फलस्वरुप 254 करोड़ आपदा राहत कोष में आये हैं। इस आपदा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने अपने परिवार की ओर से 51 लाख राहत कोष में देकर जो अपनी संवेदनशीलता का व्यवहारिक परिचय दिया है उसके लिये वह सदैव याद रखे जायेंगे। लेकिन इस अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से वायदों से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया है और यह सदन के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। क्योंकि एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. में जो कुछ मिला है वह पहले का ही देय था। यहां तक कि जब सदन में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा था तो भाजपा इसमें भी सक्रिय भागीदार नहीं बन पायी।

इस परिदृश्य में आपदा में फंसे लोगों को राहत प्रदान करना यह राज्य सरकार की प्राथमिकता थी। इस प्राथमिकता को राज्य के संसाधनों से पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसके लिये सरकार ने विभागों के बजट में कटौती करके 4500 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। जिसमें 3500 करोड़ अपने साधनों और 1000 करोड़ मनरेगा से देने की घोषणा की है। सरकार के इन प्रयासों और पहल का स्वागत करने के बजाये एक भाजपा प्रवक्ता द्वारा यह कहना की शीघ्र ही केंद्र की ओर से प्रदेश को एक बड़ा राहत पैकेज में मिलने वाला है। कांग्रेस ने केंद्र से मिलने वाले इस पैकेज की आहट पाते ही चतुराई से पहले ही अपने पैकेज की घोषणा कर दी है। ताकि केंद्र से मिलने वाले पैकेज को प्रदेश सरकार के राहत पैकेज के नाम पर खर्चा जा सके। ऐसे समय में प्रदेश भाजपा की ऐसी प्रतिक्रिया का स्वागत नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया केंद्र का पैकेज आने के बाद उसके खर्च किये जाने के तरीके पर उठनी चाहिये थी यदि उसमें कोई विसंगति होती तो।

इस तरह राहत पैकेज पर जो राजनीति अनचाहे ही खड़ी हो गयी है उसके परिपेक्ष्य में यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह आपदा कितनी प्राकृतिक थी और कितनी व्यवस्था की लचरता के कारण थी। इस पर एक खुली बहस हो जानी चाहिये। क्योंकि यह आशंका बहुत प्रबल होती जा रही है कि यह विनाश लीला लम्बी जायेगी। ऐसे में जो विशेषज्ञों की राय एन.जी.टी. के 2016 के फैसले में महत्वपूर्ण रही है उस पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार किया जाना चाहिये। एन.जी.टी. के फैसले के बाद भी हजारों अवैध निर्माण हुए हैं। एन.जी.टी. के निर्देशों पर बनायी गयी शिमला प्लान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। एन.जी.टी. ने कुछ कार्यालयों को किसी भी दूसरे स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया हुआ है क्योंकि शिमला की भारवहन क्षमता ओवर हो चुकी है। बल्कि इस आपदा के बाद पहाड़ी क्षेत्रों की भारवहन क्षमता का अध्ययन करने के निर्देश केंद्र दे चुका है। 2016 में राज्य सरकारे पूरे प्रदेश को प्लानिंग के तहत लाने की बात कर चुकी है। परन्तु यह सब होने के बावजूद यह सरकार भी कार्यालयों को शिमला से शिफ्ट करने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये इस आपदा से सबक लेते हुए भविष्य के इन प्रश्नों पर राहत एवं पुनर्वास के साथ ही विचार कर लेना लाभदायक रहेगा। क्योंकि राहत भी आम आदमी का ही पैसा है जिसे गलत नीतियों की भेंट चढ़ाना सही नहीं होगा।

तो क्या सनातन उन्मूलन सम्मेलन के बहाने पूंजीवादी ताकतों को मजबूत करने के फिराक में हैं प्रगतिशील योद्धा?

गौतम चौधरी

कमाल की बात है। विगत दिनों तमिलनाडु के किसी मंत्री ने एक सार्वजनिक सम्मेलन में सनातन, यानी हिन्दू धर्म एवं संस्कृति को जड़ से समाप्त करने की बात कही। उक्त मंत्री ने सनातन धर्म और संस्कृति की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी से भी की लेकिन इस बयान पर न तो देश की केन्द्रीय सरकार ने संज्ञान लिया और न ही स्थानीय सरकार ने कोई कार्रवाई की। हालांकि, इस विषय को लेकर कुछ हिन्दू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया जरूर दी है। कुछ हिन्दू संगठनों ने उक्त मंत्री के खिलाफ आन्दोलन भी चला रखे हैं। इस मामले में माननीय किसी न्यायालय ने भी अब तक स्वत: संज्ञान नहीं लिया है। यह विचार करने योग्य बात है कि ऐसी ही कोई टिप्पणी मुसलमान या ईसाइयों के लिए होती तो क्या देश का सत्ता प्रतिष्ठान इसी तरह चुप रहता? सवाल गंभीर है और जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ समय पहले की घटना है। भारतीय जनता पार्टी की नेता नूपुर शर्मा ने इस्लाम के संस्थापक पर कुछ नकारात्मक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त हुई कि राजस्थान के उदयपुर निवासी गरीब हिन्दू दर्जी का सरेआम गला रेत दिया गया। हर कोई देखता रहा और भारत का संपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठान सांप के चले जाने के बाद लकड़ी पीटता रहा। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। आने वाले समय में होती भी रहेगी। मामला चाहे जो भी हो लेकिन झारखंड की एक लड़की को एक खास धर्म विशेष के युवक ने इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया था। आज से कई वर्ष पहले झारखंड की ही एक लड़की को कुछ खास धर्म विशेष के युवकों ने इसलिए बेरहमी से बलात्कार किया क्योंकि वह बहुसंख्यक समाज की थी और किसी के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थी। बोकारो की उस लड़की के साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ यह उन दिनों के सुर्खियों से पता लगाया जा सकता है। घटनाएं तमाम तरह की है लेकिन ऐसी बहुसंख्यक विरोधी घटनाओं पर सत्ता प्रतिष्ठान मौन हो जाता है और माननीय न्यायालय स्तब्ध! ऐसे में स्वाभाविक रूप से बहुसंख्यकों को कभी-कभी यह सोचने के लिए मजबूर तो होना ही पड़ता होगा कि आखिर हम जिस देश में निवास कर रहे हैं वह देश हमारा ही है क्या? हम हाल के उस मंत्री के बयान की गहराई को खंगालते हैं तो पता चलता है कि उनके दादा भी हिन्दू विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम रूस के साम्यवादी तानाशाह स्टालिन के नाम पर रखा। हालांकि स्टालिन के बारे में यदि वे मुकम्मल जानते तो ऐसा नहीं करते लेकिन ऐसा उन्होंने किया। यही नहीं उनके प्रिय पुत्र आज भी उस नाम के साथ अपने को संबद्ध रखे हुए हैं। जहां पूरी दुनिया स्टालिन को मानवता का विरोधी मान रही है वहीं भारत के दक्षिण में स्टालिन नए सिरे से पूजनीय हो रहे हैं। वो ऐसा कर सकते हैं। उनकी स्वतंत्रता है। तमिलनाडु के उक्त मंत्री ने जिस कार्यक्रम में अपना ओजस्वी भाषण प्रस्तुत किया वह कार्यक्रम ही सनातन उन्मूलन के लिए रखा गया था। उस कार्यक्रम का विषय सनातन उन्मूलन सम्मेलन था। उस कार्यक्रम में वह मंत्री अकेले नहीं थे। वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभावशाली नेता मधुकर रामालिंगम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तमिल साहित्यकार एवं सांसद सु वेंकटेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और वर्तमान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एस. पीटर अल्फोंस, हिन्दू धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पीके. शेखर बाबू आदि कई गणमान्य हस्ती उपस्थित थे। अब जरा सोचिए इस देश के बहुसंख्यकों को समाप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम हो, वहां देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रभावशाली नेता शामिल हों और उनमें बहुसंख्यकों को समाप्त करने की बाकायदा योजना बने और इसकी प्रतिक्रिया में कोई दल, संगठन या व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से आन्दोलन करे तो वह साम्प्रदायिक कैसे हो सकता है? हरियाणा के नूह में दंगे हुए, उत्तराखंड के पुरोला में घटना घटी, मणिपुर में भी घटना घटी। मणिपुर की घटना पर माननीय न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया। उत्तराखंड की घटना पर भी माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया लेकिन नूह की घटना पर माननीय मौन रहे। यह देश के अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है या नहीं? इसके बाद भी कुछ लोग इस देश की सत्ता को अल्पसंख्यक विरोधी करार देने पर तुले हैं। देश में ही नहीं बाहर भी माहौल खराब किया जा रहा है। विदेश में बैठे पाकिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत विरोधी कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें प्रस्ताव पारित किया जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक परेशान हो रहे हैं। यह विडंबना है। यदि यही सब चलता रहा तो देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने में हम किसी कीमत पर कामयाब नहीं रह सकते। जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि भारत का बहुसंख्यक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण ध्रुवीकृत हो रहा है वे गतल हैं। इस देश के बहुसंख्यकों के पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह है कि देश का बहुसंख्यक यदि ध्रुवीकृत हो रहा है तो उसके लिए विपक्षी पार्टियों की करतूत एवं सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे कुछ पूंजी परस्त कथित प्रगतिशील प्रभावशाली व्यक्ति जिम्मेदार है। तमिलनाडु में जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ और हिन्दू विरोधी शामिल हुए, वैसे कार्यक्रम होते रहे तो आरएसएस और भाजपा का काम आसान होता रहेगा। ये लोग और संगठन भाजपा का काम आसान कर रहे हैं। इससे बहुसंख्यकों में डर पैदा होगा और वह डर भाजपा एवं संघ के लिए खाद-पानी का काम करेगा। याद रहे हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी एक दिन में पैदा नहीं हो जाता है। परिस्थितियां इस प्रकार के तानाशाहों को खुद व खुद नेतृत्व सौंप देती है। वर्तमान भारत में लगभग इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है। इससे पूंजी परस्तों को फायदा होगा। पश्चिमी जगत यही तो चाहता है और खास कर अमेरिका भारत को उसी रास्ते ले जाना चाहता है। इससे तो यही साबित हो रहा है कि भारत के कुछ प्रभावशाली प्रगतिशील सोच वाले लोग अमेरिकी नीतियों को लागू करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु का सनातन उन्मूलन सम्मेलन संभवत: इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

ट्राई ने 'हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में बैकहाल टेलीकाम इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार' पर सिफारिशें जारी कीं

शिमला। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बैकहाल दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

ट्राई समय समय पर देश के विशेषतौर से दूर दराज, पहाड़ी और उंचाई वाले इलाकों में बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बैकहाल और दूरसंचार अवसंरचना में सुधार के लगातार प्रयास करता रहा है। प्राधिकरण ने इससे पहले 12 दिसंबर 2022 को 'हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज इलाकों में दूरसंचार संपर्क और अवसंरचना सुधार' पर जारी सिफारिशों में पहचान वाले चार जिलों (चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और मंडी) की सभी तहसील/ताल्लुकाओं में मूलभूत ट्रांसमिशन बैकहाल नेटवर्क के लिये व्यापक निवेश योजना की जरूरत पर जोर दिया था और साथ ही कहा था कि इस मुद्दे का समाधान करते हुये अलग से भी सिफारिशें जारी की जायेंगी। राज्य के ये चारों जिले दूर दराज इलाकों में स्थित हैं और उसके दूसरे हिस्सों के मुकाबले कम विकसित हैं जिससे इनमें बेहतर दूरसंचार और बैकहाल ढांचागत सुविधाओं की कमी रह गई।

उपर दी गई सिफारिशों पर आगे बढ़ते हुये ट्राई ने हिमाचल प्रदेश के उपर उल्लेख वाले चार जिलों में मूलभूत ट्रांसमिशन बैकहाल नेटवर्क का व्यापक स्तर पर आकलन किया। आंतरिक तौर पर जमीनी स्थिति की जानकारी के लिये यह कार्य टीएसपी, राज्य सरकार के अधिकारियों, सुरक्षा बलों के वरिष्ट अधिकारियों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के साथ किया गया।

इसके मुताबिक, क्षेत्र में एक मजबूत, टिकाउ और लचीला बैकहाल टेलिकाम नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने स्वत: संज्ञान लेते हुये 'हिमाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में बैंकहाल टेलिकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार' पर सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया। ऐसे सक्रिय प्रयासों से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी आधुनिक और विश्वसनीय दूरसंचार सेवायें उपलब्ध हों।

सिफारिशों में कही गई मुख्य बातें इस प्रकार हैं

1. हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में रणनीतिक महत्व के अग्रिम सीमा क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती होती है, उच्च गति 4जी/5जी आधारित सेल्यूलर मोबाइल कवरेज बैकहाल सहित के लिये यूएसओएफ से अथवा केन्द्र सरकार के बजट समर्थन से एक अलग समर्पित कोष होना चाहिये। इस कोष से ऐसे स्थलों के परिचालन व्यय को भी पूरा किया जाना चाहिये।

2. बीएसएनएल के जरिये सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) को एक जमीनी सर्वे करना चाहिये और पांगी ब्लाक मुख्यालय से होते हुये तीस्सा ब्लाक मुख्यालय से उदयपुर तक आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बैकहाल कनेक्टिविटी के लिये धन उपलब्ध कराना चाहिये।

3. डीओटी/यूएसओएफ को फिर से रक्षा मंत्रालय के साथ संपर्क साधकर निजी इस्तेमाल के ओएफसी मीडिया नेटवर्क जो कि परवर्ती की (राष्ट्रीय संपत्ति भी) हो से ओएफसी का एक युग्म पांच साल के लिये (आपसी सहमति आधारित नियम और शर्तो) पर पट्टे पर लेना चाहिये। ताकि देशभर में सीमा क्षेत्रों से सटे अग्रिम इलाकों में 4जी/5जी आधारित सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं और उच्च-गति इंटरनेट कनेक्विटीविटी शुरू करने के लिये पहले से तैयार ओएफसी मीडिया संसाधन उपलब्ध हों। इसके लिये अध्याय 2 के पैराग्राफ 2.28 में प्रस्तावित यूएसओएफ से अलग कोष या फिर केन्द्र सरकार के बजट समर्थन से प्राप्त अलग कोष का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। इसके अलावा अनुबंध दस्तावेज में एक शर्त जोड़ी जानी चाहिये जिसमें कहा गया हो कि यूएसओएफ द्वारा नामित क्रियान्वयन एजेंसी पर यह अनिवार्य शर्त होगी कि वह अनुबंध आवंटन होने के पांच साल के भीतर अपना खुद का ओएफसी फाइबर तैयार करेगा ताकि सशस्त्र बलों से पटे पर लिये गये ओएफसी मीडिया को पूरी तरह से परिचालन योग्य पुन: इस्तेमाल की स्थिति में लौटाया जा सके।

4.. बीएसएनएल को सहजता से उपलब्ध डार्क फाइबर के उपयोग के लिये क्रमश: चंबा और लाहौल- स्पीति जिलों के क्षेत्र में आईपी- 1 परिचालन में लग जाना चाहिये। ये डार्क फाइबर क्रमश: भरमौर, मेहला, तिस्सा, सलूनी और स्पीति (काजा) के ब्लाक मुख्यालयों में बीएसएनएल संचालन को रेडियो/सैटलाइट - आधारित माध्यम से रेखीय आप्टिकल फाइबर आधारित ट्रांसमिशन बैकहॉल में बदलने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह रणनीतिक दृष्टिकोण न केवल बैकहाल बुनियादी ढांचे में बीएसएनएल की मौजूदा बैंडविड्थ क्षमता को बढ़ायेगा बल्कि उच्च वीसैट बैंडविड्थ शुल्क वहन की जरूरत को समाप्त कर परिचालन व्यय ओपेक्स में उल्लेखनीय बचत भी करेगा।

5. दूरसंचार विभाग (डीओटी) को 2021 की उसकी राइट आफ वे पालिसी को भारतीय टेलिग्राफ राइट आफ वे नियम 2016 के दिनांक 17.08.2022 संशोधन के साथ तालमेल बिठाने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिये। इसमें भाग-दो (बहाली के लिये शुल्क) के पैरा 6(3) के प्रावधान में दूरसंचार लाइसेंस धारक को किसी भी भूमिगत टेलीग्राफ अवसंरचना को बिछाने के दौरान होने वाले नुकसान की तुरंत भरपाई जबावदेही के लिये प्रदर्शन बैंक गारंटी (अचल संपत्ति के मामले में बहाली शुल्क का 20 प्रतिशत तक) के साथ एक वचन पत्र देने का निर्देश दिया गया है।

6. दूरसंचार विभाग को अपने कार्यालय ज्ञापन नंबर एफ.नं. 19-1/2019 एसयू- आई दिनांक 12.10.2020 में एक संशोधित संशोधन जारी करना चाहिये जो कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत सरकार के तहत सभी स्वायत्तशासी निकायों आदि पर लागू हो और जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया गया हो।

ऐसे मामले जहां देशभर में किसी भी स्थान पर बीएसएनएल/ एमटीएनएल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है अथवा इंटरनेट/ ब्राडबैंड, लैंडलाइन और लीज लाइन आवश्यकता के लिये उपयक्त क्षमता/नेटवर्क ढांचा उपलब्ध नहीं है, वहां बीएसएनएल/ एमटीएनएल संबंधित मंत्रालय/ सरकारी विभाग को आवेदन प्राप्त होने अथवा बीएसएनएल/ एमटीएनएल की किसी भी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर, इनमें जो भी बाद में हो, 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रदान करेगा। इसमें असफल रहने पर यह मान लिया जायेगा कि अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया गया है।

7. इससे पहले 'लद्दाख के दूर दराज इलाकों में दूरसंचार उपलब्धता और बैकहॉल अवसंरचना सुधार'' पर 24-04-2023 को जारी सिफारिशों के अनुरूप ही यह सिफारिश की गई है कि:

हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, चंबा, मंडी और कुल्लू जिले में परिचालन कर रहे सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को यूएसओएफ की मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं को अमल में लाने वाली एजेंसियों सहित किसी भी पात्र लाइसेंसधारी टीएसपी / आईएसपी को अपने बिना इस्तेमाल वाले बैकहाल ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता तक पहुंच प्रदान करनी होगी। यह पहुंच पट्टे/ ये अथवा आपसी सहमति से तय शर्तो के जरिये उचित और बिना भेदभाव के नियम- शर्तो के तहत उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

संसाधन जुटाने की सुविधा और आप्टिकल फाइबर आधारित स्व-उपचार रिंग्स बनाने के लिये प्राधिकरण जल्द से जल्द एक समिति गठित करने की सिफारिश करता है। यह समिति एलएसए स्तर पर हिमाचल प्रदेश के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टीईआरएम) क्षेत्र इकाई के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में बननी चाहिये। समिति की भूमिका अन्य बातों के अलावा समय समय पर एलएसए स्तर पर संसाधनों को साझा करने और पूलिंग से जुड़े ज्ञापनों के समाधान और समीक्षा करने की होगी।

किसी भी प्रभावित इकाई के समक्ष अड़चन अथवा कोई मुद्दा सामने आता है तो एक दूसरे-स्तर की समिति दूरसंचार विभाग मुख्यालय में गठित की जानी चाहिये। यह समिति इस तरह के सभी मामलों की समय समय पर समीक्षा करेगी और यदि जरूरी हुआ तो उच्च स्तर के हस्तक्षेप के जरिये समाधान भी उपलब्ध करायेगी।

8. प्राधिकरण ने 'स्माल सेल एण्ड एरियल फाइबर डिपलायमेंट में स्ट्रीट फनीचर के इस्तेमाल' पर 29-11-2022 को दी गई अपनी सिफारिशों के अनुरूप ही दी गई अपनी ताजा सिफारिशों में कहा है कि किसी भी टीएसपी को उसके बिना इस्तेमाल वाली बैकहाल मीडिया ट्रांसमिशन क्षमता के लिये उसे पट्टे पर लेने वाली इकाई (एक टीएसपी) द्वारा दिये जाने वाले किराये/शुल्क को किराये पर देने वाली टीएसपी के सकल राजस्व से हटा देना चाहिये। इससे इस प्रकार के टीएसपी की उचित सकल राजस्व (एपलीकेबल जीआर) का पता लग सकेगा। यह जरूरी सुधार यूएल, एनएलडी और आईएसपी लाइसेंसों के मामले में भी किया जा सकता है।

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 ने भारत में बुजुर्गों की देखभाल में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की

शिमला। यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीटयूट फार पापुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) के सहयोग से बहुप्रतीक्षित इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है, क्योंकि भारत जनसांख्यिकीय बदलाव की ओर बढ़ रहा है, भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है।

रिपोर्ट संयुक्त रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग और यूएनएफपीए की भारत प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्ट भूटान एंड्रिया एम. वोज्नार द्वारा जारी की गई।

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। यह भारत में लान्गिटयूडिनल एजिंग सर्वे एलएएसआई, 2017-18, भारत की जनगणना, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011-2036 तथा संयक्त राष्ट्र आर्थिक और विश्व जनसंख्या संभावना 2022 से उपलब्ध नवीनतम डेटा का लाभ उठाता है ताकि एक अद्यतन परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा, जैसे-जैसे भारत की उम्र बढ़ रही है यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारी बुजुर्ग आबादी को स्वस्थ, सम्मानजनक और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक देखभाल और सहायता मिले। 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान रोडमैप प्रदान करती है' और मैं सभी हितधारकों से इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं।

यूएनएफपीए के भारत प्रतिनिधि और भूटान की कंट्री यरेक्टर एंड्रिया एम. वोज्नार ने टिप्पणी की, ''यह व्यापक रिपोर्ट विद्वानों, नीति निर्माताओं, कार्यक्रम प्रबंधकों और बुजुर्गो की देखभाल में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। वद्ध व्यक्तियों ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वे अपनी भलाई सुनिश्चित करने के लिए हमारे सर्वोत्तम प्रयासों से कम के पात्र नहीं हैं।''

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षो में बुजुर्गो की भलाई से संबंधित सहित विभिन्न विश्लेषण सहित निम्न बातें शामिल हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल में वृद्धि

बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य, वित्तीय सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली अनेक सरकारी योजनाएं और नीतियां।

समुदाय-आधारित संगठन कंप्यूटर और इंटरनेट उपयोग सत्रों के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

बुजुर्गो के कल्याण के लिए नीतियों को आकार देने के लिए समर्पित मंत्रिस्तरीय समितियाँ।

आनंदपूर्ण उम्र बढ़ने, सामाजिक सहायता, वृद्धाश्रम और बुजुर्गो के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता अभियान के लिए कार्पोरेट प्रयास।

संपूर्ण इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 तक पहुंचने के लिए वेबसाइट लिंक https://india.unfpa.org/en. पर जाएं।

प्रदेश में शीघ्र ही कमांडो बल स्थापित होगा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए पुलिस विभाग में आरक्षियों के 1226 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई और कमांडो बल स्थापित करने के मामले पर विचार किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात पुलिस प्रशिक्षण कालेज डरोह में पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए विभिन्न नई तकनीक शामिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का आधुनिकीरण सरकार की प्राथमिकता है और सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अधिक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिला कांगड़ा में पुलिस अकादमी स्थापित करने की योजना है। उन्होंने पास आउट प्रशिक्षुओं को सेवाओं में व्यावसायिकता तथा प्रतिबधता लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस के सामने नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि वे अनुशासन के साथ सेवा प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य में मानसून के दौरान आई आपदा में सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल

तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर बचाव तथा राहत कार्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 271 महिला प्रशिक्षुओं सहित 1093 प्रशिक्षु पुलिस आरक्षियों की परेड का निरीक्षण किया तथा भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली।

मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ रुपये की लागत से डरोह में निर्मित 12 टाइप-3 आवास, 320 प्रशिक्षुओं के बैरेक तथा बाढ़ एवं फ्लड एंड ड्रानिंग सेंटर का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी प्रशिक्षुओं तथा प्रशिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने स्वागत संबोधन में पुलिस विभाग में विभिन्न पद स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि इस निर्णय से रिक्तियां भरने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बैच के प्रशिक्षण में उच्च मानकों को अपनाया गया है। यह महाविद्यालय राष्ट्रीय तथा उत्तर क्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है तथा अब उप-पुलिस अधीक्षक तथा उप-निरीक्षक प्रशिक्षण में भी सर्वोच्च रैकिंग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ईमानदारी तथा समर्पण भाव से कार्य करें नवनियुक्त सहायक अभियंता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 55 नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।

इन अभियंताओं में से 43 हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड, 10 हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड तथा दो ऊर्जा विभाग में सेवा प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने अभियंताओं को लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी तथा समर्पण भाव से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिससे हिमाचल प्रदेश एक आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। प्रदेश सरकार राज्य की सम्भावित जल विद्युत ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए समर्पित है और ऊर्जा सृजन तथा इसकी क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अभियंताओं को अद्यतन तकनीक के माध्यम से विशेषज्ञ कौशल विकसित करने को कहा जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अधिक राजस्व सृजित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबध है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व सृजन है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा अभियंताओं को चुनौतियों का सामना कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ाए प्रधान सचिव ऊर्जा आर.डी.नज़ीम, सचिव राजीव शर्मा, प्रबंधन निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, बिजली बोर्ड के निदेशक वित्त डॉ. अमित कुमार शर्मा भी अन्य गणमान्य सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर से जुड़ेंगे कुल्लू व शिमला यात्रियों के लिए शीघ्र शुरू होगी हवाई सेवा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़ने वाले दो नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। कुल्लू-अमृतसर-कुल्लू मार्ग पर उड़ानें प्रथम अक्तूबर, 2023 से शुरू की जाएंगी। यह उड़ानें सप्ताह में तीन बार, विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी। शिमला- अमृतसर-शिमला हवाई मार्ग पर प्रथम नवंबर, 2023 से सप्ताह में तीन बार हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी।

एलायंस एयर ने कुल्लू-अमृतसर-कुल्लू मार्ग के लिए टिकट बुकिंग सुविधा भी शुरू कर दी है। इससे यात्रियों के लिए आरामदायक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। कुल्लू-अमृतसर हवाई मार्ग पर प्रात: 8.25 बजे कुल्लू से उड़ान भरी जाएगी जो सुबह 9.30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से वापसी उड़ान प्रात: 10.00 बजे होगी जो 11.05 बजे कुल्लू पहुंचेगी। इस रूट पर 50 प्रतिशत सीटों पर उपदान उपलब्ध रहेगा, जिसके अन्तर्गत कुल्लू से अमृतसर सेक्टर के लिए हवाई किराया 2637 रुपये और अमृतसर से कुल्लू के लिए 3284 रुपये होगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की नैसर्गिक सुन्दरता और यहां की समद्ध सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को अवगत करवाने के लिए सरकार यातायात सेवाओं को सुदृढ मुख्यमंत्री ने अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह हवाई अड्डा विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ने वाले एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि इन नई उड़ानों के शुरू होने से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक लाभान्वित होंगे और कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

यू.ए.ई. के प्रवासी हिमाचलियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात यू.ए.ई. में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य

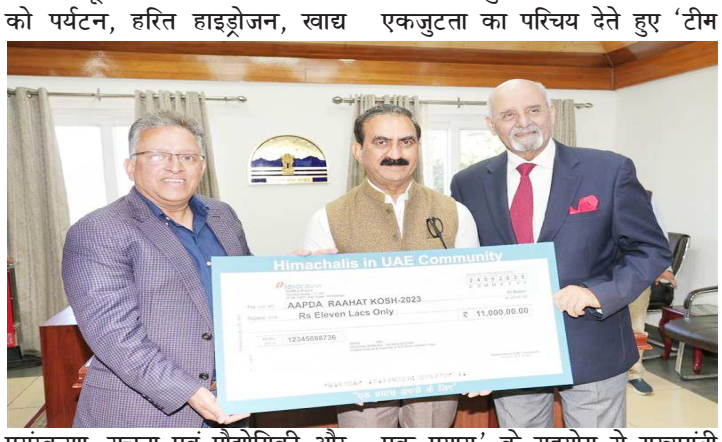

प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य की समृद्ध संस्कृति के अग्रदूत के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिमाचली समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश उनका घर है, और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में प्रदेश सरकार उन्हें हरसंभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनकर उभरेगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचना के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, जिले में हेलीपोर्ट की स्थापना और पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों का सुधार किया जा रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात के हिमाचली समुदाय ने संवेदनशीलता एवं एकजुटता का परिचय देते हुए 'टीम एक प्रयास' के सहयोग से मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान राज्य सरकार के आपदा राहत एवं पुनर्वास कार्यो को गति प्रदान करेगा।

हिमाचली समुदाय ने आपदा के दौरान युद्ध स्तर पर बचाव एवं पुनर्वास कार्यो के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की भी सराहना की। उनके प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में स्थितियां शीघ्र सामान्य हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समर्पण और प्रभावी तरीके से कठिन परिस्थितियों से निपटने की उनकी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से निकट भविष्य में दुबई आने का आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, एनआरआई यू.ए.ई. के प्रतिनिधि मुनीश गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

प्रदेश में केंद्र प्रायोजित टेली मानस कार्यक्रम का शुभारम्भ

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने शिमला से प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल व गुणात्मक उपचार के लिए केंद्र प्रायोजित

टेली-मानस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

डा. शांडिल ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी से पीपी मोड प्रदेशभर में काल सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में रोगियों व उनके सहायकों से समस्या जान कर उपचार व परामर्श की सुविधा प्रतिदिन चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी। प्रारम्भ में इसके लिए आठ मनोचिकित्सक तैनात किए जाएंगे और प्रदेश में रोगियों की संख्या एवं मांग के आधार पर केंद्रों व चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानसिक या भावनात्मक समस्या के निदान के लिए टाल फ्री नंबर 14416 या 1800-891-4416 पर काल कर टेली मानस केंद्र में संपर्क कर मनोचिकित्सक या डाक्टर से उपचार परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि रोगियों को सुलभ एवं गुणात्मक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भौतिक एवं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होंगी। इसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बैंगलुरू तथा आईआईआईटी बैंगलुरू तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए इंस्टीच्यूट ऑफ ह्यूमन बीहेवियर एंड एलाईड साईसेज, दिल्ली को प्रदेश का क्षेत्रीय समन्वय केंद्र निर्धारित किया गया है और यह केंद्र क्षमता निर्माण में हिमाचल की मदद करेगा। इस कार्यक्रम के लिए इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला संरक्षक संस्थान के रूप में कार्य करेगा और राज्य विशिष्ट प्रोटोकॉल व दिशा-निर्देश विकसित करने में सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनोचिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए केंद्र द्वारा एक करोड़ छह लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के तहत राज्य टेली मानस प्रकोष्ठ में रोगियों की ऑनलाईन कांउसलिंग के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाता काउंसलर उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्तमान में राज्य भर में 30 मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जो जिला स्तरीय चिकित्सकीय संस्थानों में भी सेवाएं उपलब्ध करवायेंगे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी

जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जो उनके जीवन के सिद्धांतों की आधारशिला बने। राज्यपाल ने उनकी सत्यनिष्ठा, सादगी और भारतीय परंपराओं के साथ गहरे जुड़ाव की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी, स्वराज, आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के सिद्धांत हम सभी को प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में गांधी जी की अहिंसा के प्रति गहरी निष्ठा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसा के प्रति समर्पण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने सभी लोगों को गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेने और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अपने जीवन में शामिल करने का आहवान किया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इसके उपरांत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सीटीओ चौक में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राज्यपाल ने कहा कि शास्त्री जी ने 'जय जवान जय किसान' का नारा देकर देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी अखण्डता, मानवता और सादगी के पक्षधर थे जिस कारण वे सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में अनाज की कमी थी तब शास्त्री जी ने लोगों को आत्मनिर्भरता के प्रति प्रेरित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी सादगी का उत्कृष्ट उदाहरण थे जिन्होंने देश को कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया। इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा देश भक्ति गीत और भजन प्रस्तुत किए गए।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, स्थानीय विधायक हरीश जनारथा, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंदर चौहान, उप महापौर उमा कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, उपायुक्त, शिमला आदित्य नेगी, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव शर्मा, आयुक्त नगर निगम शिमला भूपेन्द्र कुमार अत्री व बालिका आश्रम टूटीकंडी के छात्र और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

एसजेवीएन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3299 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया

शिमला/शैल। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार के एक संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन लिमिटेड के सी एम डी नन्द लाल शर्मा ने 2022 – 23 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। उन्होने प्रेसवार्ता में बताया कि कंपनी वर्ष 2010 में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई। भारत सरकार के पास 55% शेयर, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 26.85 प्रतिशत शेयर और शेष 18.15% शेयर जनता के पास है। एसजेवीएन आज भारत के विभिन्न राज्यों में विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है और पड़ोसी देश नेपाल में परियोजनाओं

को कार्यान्वित करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवेश किया है। वर्तमान में एसजेवीएन का कुल परियोजना पोर्टफोलियो जिसमें 85 परियोजनाएं और 3 ट्रांसमिशन लाइनों से युक्त 58144 मेगावाट है जिसमें से 2091.5 प्रचालनाधीन है और शेष परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में है।

उन्होने वित्तीय वर्ष 2022 – 23 की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बताया कि

एसजेवीएन ने वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में अब तक का सबसे अधिक 3299 करोड. रुपए का राजस्व दर्ज किया है जोकि गत वर्ष 2626 करोड. रुपए था। जिसमें 25.62% की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में कर पश्चात लाभ 1363.45 करोड रुपए दर्ज किया गया है जो कि गत वर्ष में 977.52 करोड रुपए था जिसमें 39.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एसजेवीएन ने वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में 1732.13 करोड रुपए का पूर्व लाभ दर्ज किया है जो कि गत वर्ष में 1343.44 करोड़ रुपए था। जिसमें 28.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2022 – 23 में प्रति शेयर आय 2.49 रूपये प्रति शेर से बढ़कर 3. 47 रुपए हो गई है।

एसजेवीएन ने वित्तीय वर्ष 2022 – 23 के लिए 1.77 प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया है

नाथपा झाकरी जल विद्युत स्टेशन ने 106.653% का अधिकतम पीएफ हासिल किया है।

चारंका एसपीएस ने वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में 8.75 मि.यू. का अधिकतम वार्षिक उत्पादन हासिल किया है।

वित्तीय वर्ष 2022 – 23 के दौरान स्टैंडअलोन प्रचालन से राजस्व 2935. 41 करोड़ रूपी हो गया जो कि गत वर्ष में 2421.96 करोड रुपए था। जिसमें 21.19% की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2022 – 23 के दौरान विचलन निपटान तंत्र से कुल आय 43.63 करोड रुपए है जो कि गत 5 वर्ष में दूसरी सबसे बड़ी आय के रूप में दर्ज की गई है।

हमारे विद्युत स्टेशनों ने 8705 मिलियन यूनिट की फुल डिजाइन ऊर्जा को पार करते हुए 9335 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन किया है जो की वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में एसजेवीन द्वारा हासिल किया गया तीसरा उच्चतम विद्युत उत्पादन है।

एसजेवीएन के कार्पोरेट मुख्यालय शक्ति सदन को 24 जून 2022 में इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह काउंसिल के लिए ग्रीन रेटिंग द्वारा फोर स्टार रेटिंग प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022 – 23 की तीसरी तथा चौथी तिमाही के लिए सभी प्रचालनरत विद्युत स्टेशनों से दर्ज कुल विद्युत उत्पादन क्रमश: 863 मि.यू. तथा 1407 मि.यू. है जो संबंधित तिमाही के लिए दूसरा उच्चतम विद्युत उत्पादन है।

वर्ष 2022 – 23 के दौरान प्राप्य ट्रेड 45 दिनों के एमओयू लक्ष्य की तुलना में 35 दिन का है जो एसजेवीएन के अब तक के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएन के दो सर्वोत्कृष्ट जल विद्युत स्टेशनों ने 18 जुलाई 2023 को एकल दिवसीय विद्युत उत्पादन में 50.434 मि.यू. का सर्वकालिक उच्चतम रिकार्ड प्रदर्शित कर एक नया रिकार्ड बनाया है।

एसजेवीएन ने इस वर्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना क्षमता के लिए और 100 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता के लिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर किए। चल रहे 1000 मेगावाट बीकानेर एसपीपी से 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के साथ विद्युत उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विद्युत वर्ष 2022 – 23 में एसजेवीएन ने सीएसआर गतिविधियों पर कुल 59.84 करोड़ रूपये का व्यय किया है, जो 36.46 करोड रुपए के संवैधानिक दायित्व से 23.38 करोड रुपए अधिक है।

एसजेवीएन की वर्तमान स्थापित क्षमता 2091.50 मेगावाट है, जिसमें 1912 मेगावाट जल विद्युत, 97.6 मेगावाट पवन विद्युत और 81.9 मेगावाट सौर विद्युत शामिल है। कंपनी 86 किलोमीटर लंबी एक ट्रांसमिशन लाइन का भी प्रचालन कर रही है, जबकि नेपाल में अरुण – 3 एचईपी से नेपाल – भारत सीमा पर बथनाहा तक 217 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रांसमिशन लाइन निर्माणाधीन है।

अपने गत सभी रिकार्ड को पार करते हुए एसजेवीएन ने वर्ष के दौरान 8240 करोड रुपए का कैपेक्स हासिल किया है।

एसजेवीएन ने नवम्बर 2022 में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आईएससो 31000:2018 प्रमाणन हासिल किया है जो इसे 25 नवम्बर 2022 को जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 31000:2018 कार्यान्वित करने वाला पहला सीपीएसई बनता है।

सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण लिए प्रतिबद्ध:डा.शांडिल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने अनुसूचित जाति, अन्य

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संवेदनशील वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबध है और इनके उत्थान पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति परिवारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि समाज के विकास में कोली समुदाय का उल्लेखनीय योगदान है। बैठक में जिला शिमला के रज्ञाणा में कोली समाज सामुदायिक केंद्र के निर्माण की समीक्षा भी की गई। इस केंद्र के निर्माण के लिए निष्पादन एंजेंसी हिमुडा को 30 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। केंद्र को निर्मित करने के दृष्टिगत 28 अगस्त, 2023 को संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा संबंधित स्थल का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मापदंडों के अनुसार केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को परिसर में स्थित पौधों को उपयुक्त स्थल पर स्थानातंरित करने और परिसर के सौन्दर्य करण के लिए पौधरोपण करने के भी निर्देश दिए। इस केंद्र के निर्मित होने से प्रदेश के सभी वर्गो के लोग लाभान्वित होंगे।

प्रदेश पुलिस ने की खनन माफिया के विरूद्ध कड़ी कारवाई

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा अवैध खनन माफिया के विरूद्ध लगातार कड़ी कारवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की गहनता से जांच करके खनिजों की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को ओर भी तेज कर दिया हैं। इस कारवाई का उद्देश्य खनिजों के अवैध निर्यात और राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकना है। वर्ष 2022 के दौरान पुलिस द्वारा अवैध खनन के 6686 चालान किये गये थे। पुलिस द्वारा उपरोक्त चालानों में से 5998 चालान कम्पाउंड करके उलंघनकर्ताओं से 3 करोड़ 61 लाख 12 हजार 700 रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया तथा 688 चालान न्यायालयों को भेजे गये थे। वर्ष 2022 में अवैध खनन के 39 अभियोग भी पंजीकृत किये गये थे।

वर्ष 2022 में 31 – 12 – 2022 तक पुलिस द्वारा किए गए जुर्माने की तुलना में वर्ष 2023 में दिनांक 22 – 09 – 2023 तक ही 26.9 प्रतिशत अधिक जुर्माना प्राप्त किया गया है।

वर्ष 01 – 09 – 2023 से 22 – 09 – 2023 तक प्रदेश पुलिस द्वारा अवैध खनन के 5885 चालान किये गये हैं। उपरोक्त चालानों में से 4893 चालान कम्पाउंड करके उलंघनकर्ताओं से 4 करोड़ 58 लाख 59 हजार 240 रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया है, जबकि शेष 992 चालान न्यायालयों को भेजे गये हैं।

पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 1539 वाहनों को पकडा गया है। 38 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।

प्रदेश पुलिस द्वारा जीरो टालरैंस की निति खनन माफिया के विरूद्ध अपनाई जा रही है व अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कारवाई की जा रही है। इससे पूर्व खनन माफिया के 07 अभियोग ई. डी.को आगामी कारवाई हेतु भेजे जा चुके हैं जिनमें 11.05 करोड रूपये की सम्पति शामिल है।

वर्ष 2023 दिनांक 22.09.2023 तक अवैध खनन माफिया के विरूद्ध की गई कार्यवाही

जिला	पंजीकृत अभियोग	पुलिस द्वारा किए गए चालान	पुलिस द्वारा कम्पाउंड किए गए चालान	पुलिस द्वारा बरामद गया जुर्माना	न्यायालय भेजे गए चालान	पकडे गये वाहनों के प्रकार एवं संख्या
बी0बी0एम0बट्टी	09	472	472	6578500	00	472
बिलासपुर	00	197	177	933630	20	191
चम्बा	00	574	406	1659700	168	00
हमीरपुर	01	493	434	2449600	59	03
कांगड़ा	01	689	635	2857500	54	06
किन्नौर	00	190	182	609300	08	00
कुल्लू	03	413	265	9915000	148	00
लाहौल एवं स्पिति	00	100	84	440500	16	01
मण्डी	00	667	373	1900900	294	00
नूरपुर	03	594	496	7486050	98	93
शिमला	00	106	92	571700	14	14
सिरमौर	14	586	546	3495500	40	14
सोलन	00	49	21	147100	28	45
ऊना	07	755	710	6814260	45	700
योग	38	5885	4893	45859240	992	1539

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की कार्यप्रणाली सवालों में

- अपनी ही रिपोर्टों को दरकिनार करके इण्डस इन्टरनैशनल विश्वविद्यालय को नियामक आयोग ने दिये महत्वपूर्ण कोर्स
- जबकि अपनी ही रिपोर्ट में अध्यापकों के अयोग्य होने और यू.जी.सी. के वेतनमान न देने के आरोप दर्ज हैं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को जब शैक्षणिक हब बनाने के लिये कई निजी विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान खोले गये थे तब शिक्षा का बाजारीकरण किये जाने के आरोप लगे थे। यह आशंका जताई गयी थी कि इन संस्थानों में शैक्षणिक मानकों की अनुपालना नहीं की जायेगी और यह संस्थान शिक्षा के बिक्री केंद्र बनकर रह जायेंगे। इनमें छात्रों और अभिभावकों का उत्पीड़न होगा। इन आशंकाओं की गंभीरता को नापते हुए 2010 में इन संस्थानों पर निगरानी रखने के लिये नियामक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गयी थी कि वह इन संस्थानों में तैनात शैक्षणिक और प्रशासनिक स्टाफ को लेकर यह देख की स्टाफ तय मानकों के अनुसार है या नहीं। इन संस्थानों में पढ़ाये जा रहे विषयों में छात्रों की संख्या संतोषजनक है या नहीं। बच्चों के बैठने के लिये आवश्यक स्थान है या नहीं। जब कोई संस्थान तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसे यह आयोग जुर्माना लगाकर तय समय तक अपनी कमियां पूरी करने के निर्देश देता है। यदि निर्देशों के बाद भी कमियां पूरी नहीं हो पाती हैं तो उससे वही पढ़ाई जाने वाले कोर्स तक छीनने की शक्तियां इस आयोग के पास हैं। कोर्सों में छात्रों की संख्या कभी ज्यादा करने और नये कोर्स देने की शक्तियां आयोग के पास हैं। आयोग अपने सारे कार्यों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज करता है। यह रिपोर्ट सरकार से लेकर विधानसभा के पटल पर रखी जाती है। हर विश्वविद्यालय की संचालन समिति में विधानसभा की ओर से विधायक भी मनोनीत किये जाते हैं ताकि पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित रहे।

2020 तक इस आयोग की कार्यप्रणाली लगभग ठीक चलती रही है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट समय पर छपती रही है और सार्वजनिक होती रही है। लेकिन 2020 से इसकी रिपोर्ट नहीं छप रही है। जब इसी दौरान यह आयोग कई बड़े छोटे आयोजन कर चुका है जिनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक शामिल हो चुके हैं। इन आयोजनों में निजी विश्वविद्यालयों की भागीदारी भी होती रही है। ऐसे आयोजनों को लेकर आर.टी.आई. एक्टिविस्ट कई जानकारियां भी हासिल कर चुके हैं। इन्हीं जानकारीयों से यह सामने आ चुका है की कई विश्वविद्यालयों को कई कोर्सों में इतनी इतनी सीटें दे दी गयी है जितनी कि वर्षों से चले आ रहे सरकारी संस्थानों में भी नहीं है इनमें शूलिनी विश्वविद्यालय तक का भी नाम सामने आ चुका है। इसी तरह ऊना के बाथू स्थित इण्डस इन्टरनैशनल विश्वविद्यालय की 4-8-2022 और फिर 30-1-2023 को हुई इन्सपैक्शन रिपोर्टो के अनुसार इसमें आयोग्य

g observations:

Insufficient and under paid teaching & non-teaching Staff: As on 06.08.2022 there are total 37 number of Employees engaged by the University. Out of these 37 employees, teaching staff consist of 23 employees and remaining 14 consist of non-teaching staff. As per Course approval for Session 2022-23, HP-PERC vide its letter dated 29.12.2021, has approved 21 Number of courses with total 635 seats. The teaching faculty of 23 employees is far less than as required under UGC (Establishment & Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations 2003. As per the UGC guidelines the entry pay for Assistant Professor should be in pay scale of 15600-391001 AGP of 6000 i.e. Rs.21600 (pre revised). But on perusal of the information given by the University it is observed that most of the Assistant Professors and other faculty members are being paid less than minimum

2. New Courses:-

Sr. No.	Name of course	Approved intake for 2023-24	Remarks
22	B.Tech CSE Artificial intelligence	30	
23	B.Tech CSE Block Chain	30	
24	B.Tech CSE Cyber Security	30	
25	LLB	60	Subject to approval from BCI
26	BA. LLB	60	
27	Diploma in Food Production	30	
28	Diploma in F& B service	30	
29	BAMS	60	Subject to approval from Ministry of AYUSH
30	D. Pharmacy (Ayurveda)	60	

अध्यापक और केवल 56 प्रतिशत छात्रों द्वारा ही क्लासें लगाने का रिकॉर्ड रिपोर्ट में दर्ज है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि यह विश्वविद्यालय अध्यापकों को यू.जी.सी. के मानको अनुसार वेतन नहीं दे रहा है। इन कर्मियों के लिये शायद इसे जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को एक अजय कुमार ने ईमेल से शिकायतें भी भेजी है। लेकिन नियामक आयोग ने अपनी रिपोर्टो को नजरअन्दाज करके इस विश्वविद्यालय को 2023-24 के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजैन्स, साईबर सिक्योरिटी, एलएलबी, फूड प्रोडक्शन, डी फार्मेसी और बीएएमएस जैसे महत्वपूर्ण कोर्स भी आवंटित कर दिये हैं। ऐसा क्यों और किस आधार पर किया गया है यह जांच का विषय है।

गांधी जयन्ती पर मिला 1844 कर्मियों को बर्खास्तगी का तोहफा

- जब आऊटसोर्स कर्मचारियों के उत्पीड़न का साधन बन रहा है तो इस पॉलिसी को लाया ही क्यों गया है
- इस बर्खास्तगी पर विपक्ष ने पूछा एक लाख को नौकरी देने की गारंटी का क्या हुआ?
- क्या गारंटीयां गुमराह करने के लिये दी गयी थी?

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार में कोरोना काल में आऊटसोर्स के माध्यम से स्वस्थ विभाग में रखे गये 1844 कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया है। इनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश ई मेल के माध्यम से भेजने के साथ ही इनके घर पर भी भेजे गये हैं। इन कर्मीयों की सेवाएं समाप्त किये जाने पर भाजपा ने सरकार की गारंटीयों को लेकर हमला बोल दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता प्राप्ति के लिये बेरोजगार युवाओं को झूठी गारंटीयां दी और घर-घर जाकर घोषणा की कांग्रेस की सरकार को बनते ही एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि प्रदेश में 67000 पद रिक्त चल रहे हैं और 33000 पद यह सरकार सृजित करेगी। इस तरह मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में एक लाख को नौकरी देंगे। यह गारंटी देने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ही थे। लेकिन एक भी नौकरी देना तो दूर उल्टे 1844 लोगों को घर बैठा दिया है। राजीव बिंदल ने इस बर्खास्तगी को की कड़ी निन्दा करते हुए तुरन्त प्रभाव से इनकी सेवाएं बहाल करने की मांग की है।

आऊटसोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारीयों की ऐसी बर्खास्तगी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जब ऐसे कर्मियों के लिए कोई स्थाई नीति ही नहीं है तो फिर ऐसी योजना को लाया ही क्यों गया है ? क्या इस तरह से सरकार स्वयं ही इनकी बेरोजगारी पर इनका उत्पीड़न नहीं कर रही है। आऊटसोर्स कंपनियों से लेकर जब सरकार तक सब उत्पीड़न के कारक बन जाये तो कोई शिकायत कहां और किसके पास करेगा। आऊटसोर्स कंपनियों पर उत्पीड़न करने के आरोप लम्बे अरसे से लगते आ रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में आऊटसोर्स कंपनी क्लीनवेज पर सदन में गंभीर आरोप लग चुके हैं। सरकार ने जांच का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक इस जांच का कोई परिणाम सामने नहीं आया है।

आऊटसोर्स कर्मियों कर्मचारी एक स्थाई नीति बनाये जाने के लिये कई बार आन्दोलन कर चुके हैं। इन आन्दोलनों के बाद यह तय किया गया था कि जब प्रशासनिक और वित्त विभाग पोस्ट खाली होने और वित्त उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं कर देंगे तब तक आऊटसोर्स के माध्यम से कोई भी भर्ती नहीं की जायेगी। आज जो लोग आऊटसोर्स के माध्यम से रखे गये हैं क्या उनके लिये विभागों की पूर्व स्वीकृतियां नहीं ली गयी हैं? यदि बिना पूर्व स्वीकृति के लोगों को रखवा गया है तो उसके लिए संबंधित विभागों के खिलाफ कारवाई की जानी चाहिये। क्या पूर्व में बनी पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है और इसकी जानकारी सार्वजनिक की गयी है? इस समय हिमाचल बेरोजगारी में देश में पांचवें स्थान पर पहुंच चुका है ऐसे में इस तरह के फैसले समस्या को और गंभीर बना देंगे।